(1100/VB/UB)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ के बारे में उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और बलिदान की याद में कारगिल विजय की 22वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर यह सभा भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, उनकी वीरता का अभिनन्दन करती है, जिन्होंने कारगिल युद्ध जीतने के लिए अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए, दुर्गम बाधाओं, प्रतिकूल क्षेत्र और मौसम तथा ऊँचाई पर स्थित दुश्मनों पर काबू पाया।

राष्ट्र उन सभी शहीदों का कृतज्ञ है, जिन्होंने इस निमित्त अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आज के दिन हम उन शहीदों के परिवारों के प्रति भी अपना अत्यधिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया।

यह सभा उन सभी वीरों की याद में, जो अपने राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान के लिए शहीद हो गए हैं, थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी रहकर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी (आनंदपुर साहिब): माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मनीश जी, मुझे ओलम्पिक्स के बारे में कुछ कहना है।

… (व्यवधान)

सुश्री साइखोम मीराबाई चानू को टोक्यो ओलम्पिक्स में पदक जीतने पर बधाई के बारे में उल्लेख

1102 बजे

माननीय अध्यक्ष : मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि सुश्री साइखोम मीराबाई चानू ने ओलम्पिक खेलों में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीता है। इन खेलों में देश के लिए यह पहला पदक है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर सुश्री चानू को बधाई देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि अन्य खिलाड़ी भी अपनी-अपनी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम ऊँचा करेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 81, श्री बिद्युत बरन महतो जी।

… (व्यवधान)

1103 बजे

(इस समय श्री गुरजीत सिंह औजला, श्री गौरव गोगोई, श्रीमती महुआ मोइत्रा, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, श्री भगवंत मान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

…(व्यवधान)

(प्रश्न 81)

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे प्रश्नकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया।... (व्यवधान)

देश के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी अब माननीय मंत्री जी के सक्षम कंधों पर आ गई है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।... (व्यवधान)

विकसित देशों की तुलना में भारत में रिसर्च पर होने वाला व्यय काफी कम है।... (व्यवधान) अमेरिका, इस्राइल तथा यूरोप के विकसित देशों में अनुसंधान पर जीडीपी का 2 परसेंट से लेकर 4 परसेंट तक व्यय किया जाता है।... (व्यवधान) पिछले 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन की घोषणा की थी।... (व्यवधान) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस पर बल दिया गया है।... (व्यवधान) इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन के गठन की अद्यतन स्थिति क्या है तथा इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है? ... (व्यवधान) अब अनुसंधान पर खर्च बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या कार्य कर रही है? ... (व्यवधान)

(1105/IND/SRG)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सामूहिक रूप से उच्च शिक्षा में रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट के विषय में देश को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में प्रश्न पूछा है। न्यू एजुकेशन पालिसी में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में घोषणा की गई है।... (व्यवधान) इस बारे में पिछली 15 अगस्त को माननीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किले पर दिए गए भाषण में उल्लेख किया था कि भारत सरकार इस विषय में उपक्रम को बनाने के लिए कटिबद्ध है और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और संबंधित विभागों को लेकर गहन विचार-विमर्श जारी है।... (व्यवधान) सरकार ने बजट के माध्यम से और अन्य विभागों की रिसर्च से संबंधित जो फंड्स हैं, उन सभी को मिलाकर 50 हजार करोड़ रुपया आने वाले पांच साल में रिसर्च के लिए रखे हैं। यह रिसर्च नया इनोवेशन लेकर आएगा और देश की मौलिक आवश्यकता को पूरा करेगा। यह उपक्रम सामान्य लोगों की जिंदगी में सुविधा लाएगा और भारत के विद्यार्थियों को नए शोध में सहयोग देगा। इस प्रकार के प्रयास सरकार की तरफ से जारी हैं।... (व्यवधान)

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): महोदय, माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान करने की बात कही है।... (व्यवधान) अनुसंधान और कौशल विकास में भी स्थानीय भाषाओं को वरीयता तथा प्रधानता प्रदान करनी चाहिए। चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, रशिया इत्यादि देशों में स्थानीय भाषा में प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्थानीय भाषाओं के पाठ्यक्रम बढ़ाने तथा पठन-पाठन स्थानीय भाषाओं में करने के संबंध में सरकार की क्या कार्य योजना है तथा क्या सरकार शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं तथा उच्च गुणवत्ता पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु किसी राष्ट्रीय नीति को बनाने और क्रियान्वित करने पर विचार करेगी? ... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : महोदय, सदस्य का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या स्थानीय भाषा में सरकार पठन-पाठन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है या नहीं, नई शिक्षा नीति में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि स्थानीय भाषा को, विशेषकर मातृभाषा को अधिकार दिया जाना चाहिए।… (व्यवधान) वर्ष 2014 के उपरांत माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वयं इस विषय को लीड किया है।… (व्यवधान) मैं इस बात का एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेडिकल के विषय में एडमिशन लेने के लिए नीट की जो परीक्षा होती है, उसमें भारत की 13 भाषाएं, यानी भारत की सभी स्थानीय भाषाएं जैसे मराठी, तेलुगु, तमिल, असमी, मलयाली, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, इस बार तो पंजाबी भाषा को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कालेज में जेईई परीक्षा को पास करके देश के किसी भी इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ने के लिए पहले साल की पढ़ाई स्थानीय भाषा में हो, एआईसीटीई ने उसका कोर्स भी शुरू कर दिया है।… (व्यवधान) इसके तहत देश के 14 इंजीनियरिंग कालेजेज ने उस पाठ्यक्रम को अपनाया है। भारत सरकार की यह प्राथमिकता है और हम इस बात में विश्वास करते हैं कि यदि विद्यार्थी हायर एजुकेशन तक अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ेगा, तो ज्यादा समझेगा, ज्यादा इनोवेट कर पाएगा। अंग्रेजी और राष्ट्र भाषा हिंदी को सीखना ही है, लेकिन स्थानीय भाषा को भी सीखना और सिखाना हमारी सरकार की प्रायोरिटी में है।… (व्यवधान) (1110/KDS/AK)

माननीय अध्यक्ष: श्री रवि किशन जी।

… (<u>व्यवधान</u>)

(इति)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-82 तथा 94 को क्लब किया जाता है।

… (<u>व्यवधान</u>)

(Q. 82 & 94)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, through you, I would like to ask this from the hon. Finance Minister. … (*Interruptions*) After the withdrawal of regulatory forbearance in 2015, the RBI conducted a detailed Asset Quality Review and this led to various adverse consequences for the MSME sector. … (*Interruptions*) When is the Government again planning to conduct the Asset Quality Review? … (*Interruptions*) What steps are they taking so that the MSME sector is not affected in the future? … (*Interruptions*) Thank you. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, during the Corona, we took several steps in order that the MSME gets immediate relief inclusive of changing the definition. … (*Interruptions*) Since 2019, there have been several restricting formulae given to MSME and that has been conducted under the RBI's guidelines. … (*Interruptions*) The stress in case of MSME was addressed through the Emergency Credit Guarantee Liquidity Scheme that we offered and it saw a great response from the MSMEs themselves. … (*Interruptions*) This Scheme is now being expanded by another Rs. 1.5 lakh crore more. … (*Interruptions*) Therefore, what was up to Rs. 3 lakh crore given as a security guaranteed loan now has been expanded by another Rs. 1.5 lakh crore. … (*Interruptions*) So, up to Rs. 4.5 lakh crore guarantee is being given without security to give further liquidity through term loan or through working capital for the MSMEs. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप दूसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Yes, Sir, I would like to ask my second supplementary. … (*Interruptions*)

Sir, through you, I would like to know this from the hon. Minister. … (*Interruptions*) For issues where payments are pending from the Government -- be it the Central Government or the State Government -- to the MSME or small people who are doing works for the Government are asked to pay GST without actual realisation of money. … (*Interruptions*) This is leading to serious financial crunch for the companies, especially, when the payment is pending from the

Government, and their inability to pay the GST is leading to a lot of penalties and cases. … (*Interruptions*)

So, I would like to know this from the hon. Finance Minister. … (*Interruptions*) Is there any proposal from the Government for instances where payments are pending from the Government to exempt them from paying the GST? … (*Interruptions*) I am asking this because if the Government itself is not paying the GST and just billing is done, then I think that it is not wise to ask the MSME or people who have executed the Government contracts to pay the GST. … (*Interruptions*) Thank you, Sir. … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Sir, the hon. Member has raised a very important and critical issue of Government dues to the MSMEs. … (*Interruptions*) I remember hon. Minister, Shri Gadkari ji, also speaking to me about it with great concern. … (*Interruptions*) I have reviewed it last year, in 2020, from the point of view of the Central Government and the various Departments, which owe money to the MSMEs, inclusive of the Public Sector Undertakings. … (*Interruptions*) We have made sure that the standard as per Rule 45 be not crossed and all dues be paid from the Government side for the MSMEs. … (*Interruptions*)

More importantly, the TReDS platform where these MSMEs payments can be discounted, if they are on the platform, is very actively encouraged by us. … (*Interruptions*) Of course, as regards GST, it is the GST Council, which will have to take a call on how they would want the States also to get into this scheme of things so that MSMEs get their dues. … (*Interruptions*) It is because when we say Government dues, they are not just the Central Government's dues or they are not just the Central Government's Public Sector Undertaking dues, but they are also dues from the State Governments and State-owned Public-Sector Undertakings. … (*Interruptions*) So, as far as the Central Government is concerned, we have taken this position that any pending payment will have to be given within 45 days and I am personally monitoring it. … (*Interruptions*)

(1115/CS/SPR)

As regards, the GST payment, the GST Council is the final authority. It is they who have to take a call.

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Sir, whether the Government has held a meeting with the representatives of the MSMEs sector to understand the

practical difficulties being encountered by them with regard to the restructuring of loans by the banks in the last one year? If yes, the details thereof?… (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, this question is again related to the MSMEs and the payments which are due to them, and also related to restructuring, about which the RBI has also been active. In this regard, the RBI have come up with a scheme under which a three-year lending in REPO rate is made available for the MSMEs. About Rs.10,000 crore is what we are talking about and of the intervention of the RBI. This amount will help the Micro Finance Institutions, through the banks, to restructure the loans of the MSMEs.

माननीय अध्यक्ष : श्री नामा नागेश्वर राव।

… (व्यवधान)

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Q.94.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the credit support to the MFIs is an important area. Only recently, we have made an announcement that we shall extend more credit to the NBFCs, and through the MFIs. To that extent, an announcement was made just after the second wave. Through this, we expect to reach small customers in tier-III and tier-IV cities so that small borrowers will have some money reaching them. Sir, Rs.1.50 lakh crore will be given without any security, through the MFIs. This way, we expect to reach the smaller towns and the MFIs, which are waiting for more money to be made available to them so that they can, in turn, extend further credit. This is being attended to by the Government.… (*Interruptions*)

(ends)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 83 और 100 को क्लब किया जाता है।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 83 और 100)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 83, श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 100, श्री संजय सेठ।

… (व्यवधान)

श्री संजय सेठ (राँची): महोदय, मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि जो बच्चे कोरोना संक्रमण से अपने अभिभावकों को खो चुके हैं, क्या उनके नामांकन संबंधी कोई गाइडलाइन है?… (व्यवधान) क्या उन बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार ने कोई व्यवस्था की है?… (व्यवधान) हाल के दिनों में सेन्ट्रल स्कूल को लेकर अभिभावकों और बच्चों का आकर्षण बढ़ा है।… (व्यवधान) क्या ऐसे में सरकार केन्द्रीय विद्यालयों में सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है?… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : महोदय, सेन्ट्रल स्कूल खोलने का एक विशेष उद्देश्य था।… (व्यवधान) भारत में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे जहाँ रहते हैं, वहाँ पढ़ते हैं।… (व्यवधान) उन्हीं के लिए केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं।… (व्यवधान) आज देश में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 1248 हो चुकी है।… (व्यवधान) इनमें लगभग एक लाख दस हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं।… (व्यवधान)

सदस्य जी का यह आग्रह सही है कि केन्द्रीय विद्यालयों में और सीटें बढ़नी चाहिए, लेकिन शिक्षा मूलत: राज्य की एक जिम्मेदारी है।… (व्यवधान) भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक मोरल के नाते सेन्ट्रल स्कूल खोले हैं।… (व्यवधान) जैसे-जैसे वित्तीय सुविधा होती है, हम सेन्ट्रल स्कूल की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं।… (व्यवधान) हरेक साल कुछ नए स्कूल खुलते भी हैं।… (व्यवधान) उसकी एक प्रक्रिया है।… (व्यवधान) कोरोना से जिनका देहांत हुआ है, उनके बच्चों को मेरिट के आधार पर जैसे-जैसे पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए, सेन्ट्रल स्कूल भी उसकी जिम्मेदारी लेता है।… (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 84 और 96 को क्लब किया जाता है।

… (व्यवधान)

(1120/UB/KN)

(प्रश्न 84 और 96)

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सुधाकरन।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रद्युत बोरदोलोई।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री उदय प्रताप सिंह।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हिन्दुस्तान में जो रेट है, हर राज्य में अलग-अलग तरह की कीमतें हैं।… (व्यवधान) चूंकि हर राज्य को स्वतंत्रता है, वह अपने हिसाब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्सेशन करती है, इससे दाम में भी भारी अंतर रहता है।… (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगामी समय में, चूंकि यह जीएसटी काउंसिल का विषय है।… (व्यवधान) क्या मंत्रालय या सरकार जीएसटी काउंसिल से आग्रह करेगी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की दर समान हो और उस दर में गिरावट भी आ सके?… (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।… (व्यवधान)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I would like to inform the hon. Member that the pricing of petroleum products is determined based on the world market prices after deregulation of the sector in 2010 by the UPA Government. … (*Interruptions*) Today, 85 per cent of our crude oil consumption is imported and the world market prices are determined by the producing and exporting countries. … (*Interruptions*)

Typically, on one litre of petrol, if the blended petrol costs Rs. 40, the petroleum companies make Rs. 4. On top of that, the Central Government imposes Excise Duty of Rs. 32 per lite and the State Governments raise taxes, sometimes to as high as 39 per cent, etc. … (*Interruptions*)

With regards to the question of GST, the Constitution clearly says after the last Amendment that it is the GST Council which will determine whether petrol and diesel will be covered by the GST. … (*Interruptions*) This is a recommendation which has to come from the GST Council. But I would like to inform the hon. House, since I have the floor, that based on the rate of Rs. 32 per litre that we collect by way of Central Excise Duty and other duties, we are providing 80 crore citizens free meals under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana and we are providing free vaccines to crores of Indian citizens. …

(PP 10-30)

(*Interruptions*) Since 2014, the rise of minimum support price (MSP) from 30 to 70 per cent for all major crops has benefited the Indian farmers. Ten crore families of farmers have benefited under PM Kisan Samman Nidhi Yojana with more than Rs. 1.35 lakh crore transferred directly into their accounts. … (*Interruptions*) I could go on listing. The Pradhan Mantri Ujjawala Scheme and all such schemes come from the Central Excise Duty. The State Governments charge VAT and, in some States, as I mentioned, the VAT percentage is as high as 39 per cent. I can go into that of other States as well. … (*Interruptions*)

(ends)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप जवाब चाहते हैं तो अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। सरकार जवाब देना चाहती है। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप जवाब चाहते हैं तो अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। सरकार जवाब देना चाहती है। आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, नारेबाजी करके जवाब माँग रहे हैं, यह उचित नहीं है। जनता ने आपको सदन में मुद्दे उठाने के लिए, उनकी समस्या उठाने के लिए, उनके अभाव को उठाने के लिए चुन कर भेजा है। आप नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियाँ दिखा रहे हैं, सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्यगण यह उचित नहीं है। आपको जनता ने अपने मुद्दे उठाने के लिए चुन कर भेजा है। प्लीज अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। सरकार आपको जवाब देने के लिए तैयार है। जवाब मांगने के लिए नारेबाजी करते हैं और जवाब सुनना नहीं चाहते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1124 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/GG/KMR)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत हुई।

(डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

1400 बजे

(इस समय सुश्री महुआ मोइत्रा, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, श्री रवनीत सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1400 बजे

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1401 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर दो और तीन - श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री भूपेन्द्र यादव जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

1. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
3. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एन-12/13/1/2019-पीएंडडी, जो 6 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वावारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को संशोधित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, रामेश्वर तेली जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

1. पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उप-धारा (4) के अंतर्गत पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2021 जो 17 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 196(अ) में प्रकाशित हए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचार निवारण) (संशोधन) आदेश, 2021 जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 203(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सॉल्वेंट, रैफिनेट और स्लोप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाइल में उपयोग का

निवारण) संशोधन आदेश, 2021 जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का.आ. 2133 (अ) जो 2 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निदेश दिया गया है कि तेल कंपनियां संपूर्ण राज्यों और संघ-राज्यक्षेत्रों में भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशनों के अनुसार 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विक्रय करेंगी।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. 38/2021-Customs (Hindi and English versions) dated 26th July, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 50/2017-Cus dated 30.06.2017 so as to (a) reduce the BCD from 10% to Nil on Lentils (Masur) [HS 0713 40 00] originated in or exported from countries other than USA and (b) to reduce the BCD from 30% to 20% on Lentils (Masur) [HS 0713 40 00] originated in or exported from USA and Notification No. 11/2021-Cus dated 01.02.2021 so as to reduce the AIDC on all Lentils (Masur) [HS 0713 40 00] from present rate of 20% TO 10% under Section 159 of the Customs Act, 1962. The above amendments will be effective from 27.07.2021.

… (*Interruptions*)

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

294th Report

1403 बजे

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Sir, I beg to lay on the Table the Two Hundred Ninety-fourth Report (Hindi and English versions) on 'Development and Conservation of Museums and Archaeological Sites – Challenges and Opportunities' of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture.

… (*Interruptions*)

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (AMENDMENT) BILL

1403 बजे

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री मनीष तिवारी जी।

… (व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Sir, the House is not in order. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री सौगत राय जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

… (*Interruptions*)

STATEMENT RE: INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (AMENDMENT) ORDNANCE - LAID

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to lay on the Table an explanatory Statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2021 (No.3 of 2021).

माननीय सभापति: सदस्यगण, सभा चर्चा के लिए होती है। सदन चर्चा के लिए है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सब अपने-अपने स्थानों पर बैठें और हम चर्चा करें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही आज दो बज कर पैंतालीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

1404 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बज कर पैंतालीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(1445/RV/RCP)

1445 बजे

लोक सभा चौदह बजकर पैंतालीस मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुईं)

... (व्यवधान)

1445 बजे

(इस समय श्री गुरजीत सिंह औजला, श्री गौरव गोगोई, सुश्री महुआ मोइत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप लोग हमारी बात को सुनें और अपनी सीट्स पर जाकर बैठें।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह अच्छा नहीं लगता है। आप लोग समझदार हैं। जनहित में काम होना चाहिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया आप लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: हम सभा की कार्यवाही को कब तक स्थगित करते रहें? यह सब किसलिए है? इससे क्या फायदा है? इसका कोई फायदा नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: क्या बार-बार सभा की कार्यवाही को स्थगित कर देने से आप लोग खुश हो जाएंगे? क्या हम वही करें?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: अगर आप सब हमारी बात को सुन रहे हैं तो कृपया उसे ध्यान में रखिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग अपनी-अपनी जगह पर जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: हाउस को फिर एडजर्न करना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग चर्चा कर लीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अरे भाई, आप लोग क्या सोचकर आए हैं? जनता का काम करना है न?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: इससे क्या खुशी मिलेगी? इससे कोई खुशी नहीं मिलेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी खुशी के लिए सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1448 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पन्द्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1500/MY/RK)

1500 बजे

लोक सभा पन्द्रह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुईं)

… (व्यवधान)

1500 बजे

(इस समय श्री गुरजीत सिंह औजला, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, सुश्री महुआ मोइत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1500 बजे

माननीय सभापति: नियम 377 के अधीन सभा के पटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में अध्यक्षपीठ द्वारा की जाने वाली घोषणा:

माननीय सदस्यगण, आप लोग नियम 377 के अधीन मामलों को सदन के पटल पर रख सकते हैं।

… (व्यवधान)

Re: Need to issue caste certificate to people belonging to 'Dhangar' caste

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर (माधा): असल में धनगर आरक्षण का मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में 36वे क्रमांक पर "धनगड" नाम दर्ज है जबकि "धनगड" नाम की कोई भी जाति या जनजाति महाराष्ट्र में अस्तित्व में नहीं है।

इसी के आधार पर महाराष्ट्र में "माना" और "गोवारी" समाज को न्यायालय के द्वारा न्याय मिल चुका है। "गोंडमाना" और "गोंडगोवारी" नाम महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में दर्ज थे जबकि इस नाम की जनजातियां महाराष्ट्र में अस्तित्व में नहीं थीं। न्यायालयों ने "गोंडमाना" की जगह "माना" तथा "गोंडगोवारी" की जगह "गोवारी" को जनजाति मानते हुए उनको जनजाति के प्रमाणपत्र देने के आदेश दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही मामला धनगर जनजाति का भी है। "धनगड" के अस्तित्वहीन होने की बात मुंबई न्यायालय के सामने राज्य सरकार खुद मान चुकी है।

इसलिए अध्यक्ष महोदय आपसे मेरा निवेदन है "धनगड" की जगह धनगर को अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र दिये जाएं।

(इति)

Re: Construction of a Road Bridge over Dulung river, West Bengal

SHRI KUNAR HEMBRAM (JHARGRAM): My Lok Sabha Constituency Jhargram district in West Bengal has a river Dulung on the SH 5. There is a slope at Chilkigarh on the river Dulung. Every year during the rainy sessions the river get overflowed and the Jhargram Chilkigarh main road is cut-off. The road is important for the habitants of Jamboni block. There is only PHC and a Higher Secondary School at Chilkigarh. During the monsoon patients and the students face acute problem. On the other side of the river the Kanak Durga Temple is situated where numerous people come everyday for perfoming Puja.

In view of such situation, there is an urgent need to construct a road bridge over the Dulung river.

(ends)

Re: Need to create a new 'Vindhya-Bundelkhand' State

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आक्रष्ट कराना चाहता हूँ, उ.प्र. तथा म.प्र. के विंध्यांचल पर्वत में बसे जिलो को जोड़कर अलग राज्य बनाने की मांग कई वर्षो से चली आ रही है, किन्तु पिछली सरकारो ने इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा था, यह क्षेत्र पर्याप्त आर्थिक संसाधनो से परिपूर्ण है, किन्तु फिर भी अत्यंत पिछड़ा है|

प्रस्तावित बुंदेलखंड राज्य मे उ.प्र. के जनपद प्रयागराज का यमुनापार का क्षेत्र तथा मिर्जापुर, सोनभद्र चित्रकूट, बाँदा, महोबा, हमीरपुर, झाँसी, जालौन, ललितपुर, एवं म.प्र. के जनपद रीवा-सतना, छतरपुर, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, विदिशा, दतिया, भिंड, आदि जिले आते है, इन सब जनपदो को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य बनाया जा सकता है, जिसकी राजधानी भगवान श्रीरामचन्द्र जी की तपोस्थली चित्रकूट बनाई जा सकती है, जहां 12 वर्ष तक भगवान श्री रामचंद्र जी ने तपस्या की थी, उसी तपोभूमि को राजधानी मानकर नया राज्य गठन किया जा सकता है, जिसकी सीमाए “इत यमुना उत नर्वदा इत चंबल उत टौस छत्रसाल से लड़न को नहीं काहू मे धौस” राजा छत्रसाल का जो राज्य था उसी सीमा मे विंध्य बुंदेलखंड राज्य बनाया जाना चाहिए|

अतः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, कि विंध्य-बुंदेलखंड राज्य गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने की मांग करता हूँ|

(इति)

Re: Including Kalaburagi city corporation under PMJVK

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): Kalaburagi City population is 533,587 according to 2011 Census. Whereas the current population is more than 6.5 lakh out of which 39% of the population belongs to Minority which is around 2.6 lakh in the city itself. Guidelines for the implementation of PMJVK for Minority Concentration District for enabling focussed attention of government programmes and scheme on these districts are having a population of 25% and above. Whereas Kalaburagi is having well above set criteria i.e, around 39%. The projects to be taken up under PMJVK would be related to creation of infrastructure mainly in the sectors of education, health and skill development, besides innovative schemes for improving the socio-economic and living conditions of minority communities and other communities living in the catchment area.

Therefore, my humble request to Hon'ble Minister is to include the Kalaburagi City Corporation under PMJVK as Minority Concentration Area.

(ends)

Re: Need to undertake survey of historical temples, monasteries and forts in Sitapur and Lakhimpur Kheri districts and bring them under culture department

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय मै आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सीतापुर और उसके समीप मे स्थित जनपद लखीमपुर-खीरी के अनेक प्राचीन मंदिर, मठ, ऐतिहासिक किले और कई प्रकार की प्राचीन मीनारों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। जिनके बारे मे आम जनता को कोई जानकारी नहीं है। आम जनता की जिज्ञासा भी इन प्राचीन मंदिर, मठ, ऐतिहासिक किले और कई प्रकार की प्राचीन मीनारों के बारे मे जानने की है।

ऐसी परिस्थति में महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार से माँग करता हूँ कि जनहित मे उपर्युक्त दोनों जनपदों के प्राचीन मंदिर, मठ, ऐतिहासिक किले और कई प्रकार की प्राचीन मीनारों का पुरातात्विक सर्वे करवाकर इनको संस्कृति विभाग से जोड़ने हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

(इति)

Re: Need to review the current status of families eligible for Pradhan Mantri Awas Yojana

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): महोदय, मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की महात्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने समाज के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग की पीड़ा को समझा और सभी को घर देने की इस महान योजना का शुभारम्भ किया जिसके फ़लस्वरुप आज देश में गरीबों को उसका पूरा लाभ मिल रहा है। इस योजना के हेतु पात्रता का आकलन 2011 के जनगणना के आधार रखकर किया जा रहा है और इस आकलन के आधार पर जिन लोगों को उस वक्त घर की आवश्यकता थी अथवा जिन लोगों को उस समय घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी उन लोगों की स्थिति में आज कई बदलाव आये है जैसा कि मैं असम प्रदेश से आता हूँ और असम में 2011 की जनगणना के अनुसार बहुत परिवर्तन हुआ है जिन लोगों के घर में छत नहीं थी या दीवार नहीं थी उन लोगों के घर पर आज छत है और दीवार भी है यह सब इतने समय के अंतराल में उन लोगों के अथक परिश्रम से ही हुआ होगा। और इस कारण आज इस योजना का लाभ उसी जनगणना के आधार पर दिया जा रहा है जो आज के पात्र लोगों के साथ शायद अन्याय है।

इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस योजना में कुछ बदलाव करते हुए योजना का लाभ देने से पूर्व पात्र व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखा जाए और पात्र व्यक्ति तक इसका लाभ पूर्ण रुप पहुंचे यहीं अंत्योदय को परिलक्षित करेगा।

(इति)

Re: Regarding construction of road from Akbarpur (Rohtas district) to Aghaura (Kaimur district), Bihar

श्री छेदी पासवान (सासाराम): मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम (बिहार) के अकबरपुर (रोहतास) से अधौरा (कैमूर) तक आवागमन हेतु एक भी रोड नहीं है। यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। बिहार के इन पिछड़े एवं सुदूर इलाकों में विकास को गति देने हेतु सड़क का निर्माण अति आवश्यक है। अकबरपुर (रोहतास) से अधौरा (कैमूर) तक सड़क निर्माण की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, परंत 'वन्य प्राणी आश्रय स्थली' के प्रतिबंधों के कारण निर्माण कार्य बाधित है, जिस कारण इस क्षेत्र के गरीब, पिछड़े एवं आदिवासियों की बड़ी आबादी विकास की रोशनी से वंचित है।

अतः मेरा अनुरोध है कि प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र उक्त पथ के निर्माण हेतु सदन के माध्यम से संबंधित मंत्रालय को आदेश निर्गत किया जाए, जिससे जिला-रोहतास एवं कैमूर के पिछड़े एवं सुदूर इलाके के साथ-साथ अन्य लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके।

(इति)

Re: Need to constitute a Board for creation of small states

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर):आज़ादी के समय देश में बड़े राज्य थे जिनका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशिक सत्ता को बनाए रखने की दृष्टि से किया था| परन्तु आज़ादी के बाद कई छोटे राज्यों का निर्माण हुआ जिन्होंने काफी आर्थिक प्रगति भी की और प्रगति के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को और भी मजबूत किया| इसका एक उदाहरण गुजरात राज्य है जोकि तब के बम्बई प्रान्त से अलग होकर बना जिसने न सिर्फ आर्थिक रूप से प्रगति कि बल्कि अपनी संस्कृति को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी पहचान बनाई| इसी तरह उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रदेश ,हिमाचल ,गोवा,उत्तराखंड ,झारखण्ड,आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना इत्यादि राज्यों का निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हुआ और आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों के निर्माण के उपरांत इन राज्यों ने काफी प्रगति भी की है|

परन्तु देश में नए राज्यों की मांग अभी भी जारी है और इस मांग के लिए समय समय पर जन आन्दोलन भी होते रहे हैं| इन नए राज्यों की मांग में बुंदेलखंड राज्य की मांग भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है| बुंदेलखंड राज्य की मांग स्वंतत्रता पूर्व की मांग है| इस हेतु फरवरी 1943 में टीकमगढ में बुंदेलखंड प्रान्त निर्माण सम्मेलन आयोजित किया गया और उसके उपरांत लगातार पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग होती रही है|

बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग का प्रमुख आधार विकास है| ब्रिटिश काल में एतिहासिक कारणों से बुंदेलखंड क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के मुकाबले आर्थिक रूप से काफी पिछड गया और आज़ादी प्राप्ति के उपरांत दो राज्यों में बुंदेलखंड का विभाजन हो गया| संभवत: दो राज्यों में विभक्त होने वाले बुंदेलखंड देश का एकमात्र क्षेत्र है|इन सभी कारणों के समग्र प्रभाव के कारण इस स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी इस क्षेत्र का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिस गति से होना चाहिए |इसके अतिरिक्त जहाँ अन्य राज्यों का विभिन्न आधार पर निर्माण हुआ और उन्होंने न सिर्फ आर्थिक प्रगति की वही अपनी संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन भी किया परन्तु बुंदेलखंड न सिर्फ आर्थिक रूप से पीछे रह गया अपितु अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी बड़ी मुश्किल से संभाले है और इसके साथ यहाँ बोली जाने वाली बुन्देली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में भी जगह नहीं मिल पाई है|

अत: स्वतंत्रता प्राप्ति एवं उसके पश्चात बनाए गए छोटे राज्यों के सर्वंगीण विकास के शानदार प्रदर्शन को दृष्टिगत करते हुए बुंदेलखंड के आर्थिक विकास और संस्कृति के संरक्षण और सर्वर्धन हेतु एवं बुंदेलखंड के संबंध में जनभावनाओं को देखते हुए जनमानस की मांग की पूर्ति हेतु बुंदेलखंड के लिए नवीन संभावनों पर विचार करना अति आवश्यक है| इस हेतु आपके माध्यम से मेरी सरकार से यह मांग है कि नवीन छोटे राज्यों के निर्माण और संभावनाओं की तलाश हेतु लघु राज्य निर्माण बोर्ड का गठन किया जाए |

(इति)

Re: Regarding merger of services of North East Express (train No. 12505/12506) and Sainik Express (train no. 14021/14022)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष महोदय ट्रेन संख्या.12505/ 12506 (नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन) कामाख्या से चलती है और आंनद विहार, नई दिल्ली, को रात्रि 8 बजे पहुंचती है। ट्रेन संख्या14021/14022 (सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन) सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली से रात्रि 10.20 बजे जयपुर (राजस्थान) के लिए रवाना होती है। अगर इन दोनों ट्रेनों का मर्ज कर दिया जाये तो शेखावटी के सैनिकों, व्यापारियों तथा पूर्वाचल में नौकरी करने वाले लोगों को यात्रा में सुगमता होगी तथा पूर्वांचल एवं कामाख्या सीधा शेखावटी अंचल से जुड़ जाएगा। इन ट्रेनों को मर्ज करने से हरियाणा एवं राजस्थान के साथ पश्चिम बंगाल,उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतियों को यात्रा का फायदा मिलेगा।

अतः मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि ट्रेन संख्या.12505/12506 (नॉर्थ एक्सप्रेस) ट्रेन तथा ट्रेन संख्या.14021/14022 (सैनिक एक्सप्रेस) को मर्ज करने की कृपा करे ताकि पूर्वाचल क्षेत्र सीधे शेखावटी अंचल (राजस्थान) से जुड़ सके।

(इति)

Re: Need to establish a Women's College in Deoria district, Uttar Pradesh

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र सलेमपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जो बिहार से सटा हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र में महिला महाविद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। महोदय, मेरे क्षेत्र की छात्राओं को महिला महाविद्यालय न होने के कारण गोरखपुर, वाराणसी तथा दिल्ली पढ़ने जाना पड़ता है जिसके कारण परिवार वालों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर मेरे संसदीय क्षेत्र बगहा बाजार में केन्द्रीय सहायता से महिला महाविदयालय की स्थापना हो जाती है तो यहां की छात्राओं के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार की छात्राओं को भी घर के पास उच्च शिक्षा प्राप्त हो जायेगी तथा हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना "बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ" का भी सपना साकार हो जायेगा।

अत: मैं सदन के माध्यम से मा. शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे क्षेत्र बगहा बाजार प्रखंड बगमरा तहसील भाटपार रानी जिला देवरिया में केन्द्रीय सहायता से एक महिला महाविद्यालय की स्थापना किया जाए।

(इति)

Re: Regarding alleged shoddy construction of NH-99 road in Misrikh parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ.प्र.) के अंतर्गत बिल्हौर-चौबेपुर-शिवराजपुर-कन्नौज (राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-99) का निर्माण कार्य चल रहा है। बरसात के दिनों में शिवराजपुर के निकट इस सड़क के निर्माण में कार्यदायी संस्था निर्माण सामग्री के लिए निर्धारित किए गए मानकों को दरकिनार करते हुए कथित रूप से घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करके केन्द्रीय निधि का भारी दुरुपयोग कर रही है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह बरसात के दिनों में उक्त सड़क के निर्माण कार्य को अविलंब रोक कर निर्माण कार्य में लगी सामग्री की गुणवत्ता की जांच केन्द्रीय तकनीकी समिति से करवाकर दोषी अभियंताओं के खिलाफ विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

(इति)

Re: Need to formulate a plan to prevent annual flood and land erosion in Malda district of West Bengal

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो के अंतर्गत पन्ना जिले में बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत भितरी मुटमुरू मध्यम सिंचाई योजना एवं अमानगंज के पास स्वीकृत ककरहाई उद्वहन योजना जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित की गई थी किन्तु इन योजनाओं से किसी से भी किसान को कोई लाभ नहीं हुआ है। मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ कि इन परियोजनाओं हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी राशि किस मद पर व्यय हुई। चूंकि इस व्यय राशि का क्षेत्रीय किसानों को जरा भी लाभ नहीं मिला तथा राशि का पूर्ण रूप से दुरूपयोग हुआ। अतः माननीय से आग्रह करना चाहूंगा कि इन योजनाओं को पूर्वानुसार लक्ष्यप्राप्ति के उद्देश्य से पुनः निर्मित कराया जाये ताकि इन परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि की उपयोगिता हासिल हो सके तथा इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही भी संस्थित की जाये।

(इति)

Re: NH-45C from Vikravandi to Thanjavur

SHRI S. RAMALINGAM (MAYILADUTHURAI): National Highway Road No. 45 C from Vikravandi to Tahnjavur started in December 2018. The work package 1 and package 2 from Sethiyathoppu to Thanjavur is very slow. I want to know the action plan to expedite the construction work.

(ends)

Re: Setting up of Mobile sector health institutions in Andhra Pradesh

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Following bifurcation of Andhra Pradesh, absence of Tier-1 cities in the state resulted in no scope for private healthcare sector to offer super speciality healthcare services in the State and this is only possible through setting up of public sector institutions.

(ends)

Re: Judicial commission on Pegasus spyware snooping

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Pegasus Spyware, an Israeli spy agency snooped the phones of senior opposition leaders, above 40 journalists belonging to various print and visual media groups, officers of CBI and even Union Ministers. The government has not given the details of the snooping, whether it happened on behalf of government or the government had knowledge of it. The country feels the snooping of opposition leaders phones are an attempt to destabilize the elected state governments and to suppress the dissent voices against the government. Day by day new revelations are coming out and a large number of reputed personalities are under snooping. The Union Home Minister must take the responsibility of this illegal and anti-democratic act. I urge upon the government to appoint a Judicial Commission under a sitting Supreme Court Judge to find out the facts on the Pegasus Spyware snooping.

(ends)

Re: Privatization of Mazagaon Dock Shipbuilders Limited

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Mazagaon Dock is one of the best Ship Building Companies of India and has proved its outstanding ability on precision, timeline, sometimes even before scheduled time delivery of the destroyers, submarines, warships since its inception. It has been appreciated on many occasions and awarded the best ship building company. But of late, Govt has taken the decision to privatise this company by disinvestment. I strongly express concern for this decision, as it is the shipbuilding company of pride for India.

What is required, is to grant them the business of Shipbuilding by the Govt. Recently Govt. has announced the decision to build submarines for the Naval Wing. I demand that this important work should be allotted to Mazagaon Dock Shipbuilders Ltd, which has time and again proved its outstanding Ship Building Capacity. I request to save and strengthen the company and its outstanding skilled and dedicated employees, please.

(ends)

Re: Need to construct a ring road connecting NH-27 to NH 531 in Gopalganj parliamentary constituency, Bihar

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज शहर प्रतिदिन जाम की भयंकर समस्या से गुजर रहा है। गोपालगंज शहर में यह समस्या काफी विकट बनती जा रही है। जाम लगने का एक बड़ा कारण शहर के अरार मोड़ से एन.एच.- 27से सिवान जाने वाले ट्रकों तथा भारी वाहनों का शहर से होकर गुजरना भी है। अरार मोड़ से यावे रोड़ गोपालगज पर ट्रकों और भारी वाहनों के गुजरने से शहर की सड़कों पर प्रतिदिन जाम की समस्या बनी रहती है। इससे दूर-दराज से आए हुए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा वायू प्रदूषण भी शहर में काफी बढ़ रहा है। कभी-कभी एम्बुलेंस एवं आवश्यक सामग्री वाली गाडिया घंटों जाम में फंसी रहती है। अगर गोपालगंज के अरार गांव के बाहर पश्चिम दक्षिण की तरफ से एन.एच.-27 से शुरू होकर जगमालवा होते हुए एन.एच.-531 पर रिंग रोड़ बनाकर मिला दिया जाए तथा अरार गांव से उत्तर एवं पूरब एन.एच.-27 से हजियापुर एव सरेया के बाहर-बाहर जादोपुर रोड़ होते हुए एन.एच.-27 में मिलाकर एवं आगे बढ़ाते हुए एन.एच.-531 में रिंग रोड़ को मिलाया जाए।

महोदय, में माननीय मंत्री जी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग से आग्रह करता हूँ कि एन.एच.-27 को एन.एच.-531 से जोड़ने के लिए रिंग रोड़ का निर्माण किया जाये जो कि एन.एच.-27 से दानापुर से नहर होते हुए चौराव तक रिंग रोड़ बनाकर एन.एच.-27 और एन.एच.-531 से सीधा जोड़ा जाए।

(इति)

Re: Need to release sugarcane arrears to farmers of Amrohaparliamentary constituency, Uttar Pradesh

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोहा के गन्ना किसानों का चीनी मीलों पर लगभग 600 करोड़ रुपए बकाया है जिसमें अकेले सिम्भावली चीनी मिल पर 300 करोड़ रुपये है। सिम्भावली चीनी मिल कई वर्षों से डिफॉल्टर कैटेगरी में है। यहाँ के किसान भुगतान नहीं होने से परेशान है। उल्लेखनीय है कि 1997 में सिम्भावली चीनी मिल के सामने धरना प्रदर्शन किया गया था तब मिल प्रबंधन ने कथित रूप से स्थानीय प्रशासन का नाजायज इस्तेमाल कर किसानों का उत्पीडन किया, गोलियां चलवाई, जिसमें कई निर्दोष किसानों की जान गई। अगर समय रहते इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया तो फिर से किसान अपने हक़ के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। सरकार को ऐसी डिफॉल्टर चीनी मीलों को अपने अधीन लेते हुए प्रशासक बैठा देना चाहिये। किसानों की बकाया राशि जल्द दिलाई जाए एवं चीनी मीलों को ये निर्देश दिए जायें की गन्ना किसानों की बकाया राशि पर ब्याज दें ताकि किसान अपने ऋण का भुगतान कर सकें।

(इति)

कنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، میرے پارلیمانی حلقہ امروہہ کے گنّا کسانوں کا چینی ملوں پر تقریباً 600 کروڑ روپئے بقایا ہے جس میں اکیلے سمبھولی چینی مل پر 300 کروڑ روپئے ہے۔ سمبھولی چینی مل کئی سالوں سے ڈیفالٹر کیٹیگری میں ہے۔ یہاں کے کسان بھگتان نہیں ہونے سے پریشان ہیں۔ غور طلب ہے کہ 1997 میں سمبھولی چینی مل کے سامنے دھرنا پردرشن کیا گیا تھا تب مِل کے انتظامیہ نے کتھِت روپ سے مقامی انتظامیہ کا نا جائز استعمال کرکے کسانوں کا اُتپیڑن کیا، گولیاں چلوائیں، جس میں کئی بے قصور کسانوں کی جان گئی۔ اگر ابھی بھی اس طرف دھیان نہیں دیا گیا تو پھر سے کسان اپنے حق کے لئے سڑکوں پر اُتر سکتے ہیں۔ سرکار کو ایسی ڈیفالٹر چینی ملوں کو اپنے زیرِ انتظام لیتے ہوئے پرشاسک بیٹھا دینا چاہیے۔ کسانوں کی بقایہ رقم جلد سے جلد دلائی جائے اور چینی ملوں کو یہ حکم دیا جائے کہ گّنا کسانوں کی بقایا راشی پر بیاج دے تاکہ کسان اپنے قرض کی ادائیگی کر سکے۔

شکریہ

Re: Establishment of an Airport in Nagapattinam

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Nagapattinam is an old city, has long beach area and is famous for its rich history and culture. The town also attracts several pilgrims who come to offer their prayers in the temples located here. Many Govt. agency's offices are located here viz. Fishery Development Department, Port, Naval, Income Tax and University. This city is one of the hubs of tourists in Tamil Nadu. Presently, no airport is available in Nagapattinum. There is a huge potential for air travel passenger as many central Govt. agencies viz. ONGC, Navy and Income Tax offices are located here.

If airport is available here, the officials of these agencies and general public can utilize the air services so that they can accomplish their work easily, quickly and comfortably.

Hence, I request Union Minister of Civil Aviation through you, Sir, to consider and take positive steps for establishing an airport in Nagapattinam at the earliest.

(ends)

FACTORING REGULATION (AMENDMENT) BILL

1501 hours

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Factoring Regulation Act, 2011, be taken into consideration."

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): मैं अपील करता हूँ, मानसून सेशन के पाँच दिन चले गए हैं। Five days have gone to waste. मैं फिर से अपील करता हूँ कि कृपया आप सभी चर्चा में भाग लें।… (व्यवधान) यह बहुत इम्पोर्टेन्ट बिल भी हम ले रहे हैं। यह बहुत बड़ा बिल है, बहुत इम्पोर्टेन्ट बिल है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब कृपया चर्चा में भाग लीजिए। … (व्यवधान) आपका जो भी विषय है, उसे बी.ए.सी. में लेकर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन, बी.ए.सी. में जो डिसाइड हुआ है, टाइम एलॉट हुआ है… (व्यवधान) यह इम्पोर्टेन्ट बिल है।… (व्यवधान) यह सदन चर्चा और लेजिस्लेशन के लिए बैठता है। The basic duty of the Parliament is to consider and pass Bills. यह लेजिस्लेटिव बिजनेस है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आप चर्चा में भाग लीजिए।… (व्यवधान) I would appeal to you to kindly participate in the discussion on the Bill. आप पाँच दिनों से ऐसा कर रहे हैं। लोगों के पैसे से यह सदन चलता है और उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आप चर्चा में पार्टिसपेट कीजिए। … (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, the Factoring Regulation Act of 2011 was enacted in 2011 because MSMEs were struggling to have their payments done in time. In order to address the delay which MSMEs were suffering, because of which liquidity problems were arising, it was necessary to pass the Bill on Factoring Regulation. That is how the Factoring Regulation Act came into being.… (*Interruptions*)

The primary considerations for the Factoring Regulation Bill to be passed in 2011 - that was the intent - were that the liquidity for small scale industries through factoring process can be enabled, a provision for registration of factor

which can do business in factoring can be made, and also the assignment of receivables to factors is regulated.

(1505/PS/CP)

Now, we are trying to come up with some amendments to the Bill. These amendments are the direct result of the recommendations of the U.K. Sinha Committee. The U.K. Sinha Committee had gone into the difficulties post the Factoring Bill becoming an Act; when the Act was implemented, there were certain difficulties which the U.K. Sinha Committee had looked into. Based on their recommendations, this Amendment Bill is being brought in. … (*Interruptions*)

Hon. Members may know that I had introduced the Bill on 14th September, 2020 and on 24th September, 2020, the Bill was sent to the Standing Committee. The Standing Committee's recommendations had come on 3rd February, 2021. All the recommendations of the Standing Committee have been accepted by the Government. One recommendation is a legislative recommendation. The other eight are all non-legislative amendments which the Standing Committee has desired. … (*Interruptions*)

Therefore, what we are coming up now is to accept the Standing Committee's recommendations. There are three Amendments to the existing Act and one of them is the insertion of Section 19(1)(A). This, in short, will capture all that we are trying to do. The TReDS platform -- through which the MSMEs got to be getting some discounts -- is also taken on-board. Therefore, this is a very important Bill, which, if passed with amendments as suggested by the Standing Committee, will benefit the MSMEs and since, the MSMEs will be benefitted, I appeal to the whole House to consider and pass these three amendments including the one insertion. Thank you, Madam. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति(श्रीमती रमा देवी) : आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुनिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : अगर आप चर्चा करते, तो आप लोगों का फायदा होता। अगर चर्चा नहीं करेंगे, तो बिल ऐसे ही पास करना होगा। आप लोग ध्यान से हमारी बात को सुनिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : आप अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो आप लोग चर्चा कीजिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

खण्ड 2

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन …

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

Clause 1

Amendment made:

Page 1, line 3,-

for "2020"

substitute "2021". (2)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

(1510/SMN/NK)

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1, -

for "Seventy-first"

substitute "Seventy-second". (1)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक

1513 बजे

माननीय सभापति : आइटम नंबर - 9.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री पशुपति कुमार पारस) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध की कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने और खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता तथा प्रबंध में शिक्षण और अनुसंधान करने और ऐसी शाखाओं में विद्या की अभिवृद्धि और ज्ञान का प्रसार करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध की कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने और खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता तथा प्रबंध में शिक्षण और अनुसंधान करने और ऐसी शाखाओं में विद्या की अभिवृद्धि और ज्ञान का प्रसार करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 5

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी। …

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी। **…**

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1515/SK/SNB)

खंड 6

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी) : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी…

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी…

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी…

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी…

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 11

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी…

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी...

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी...

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी...

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी...

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 से 41 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी...

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी...

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री थोमस चाज़िकाडन...

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1

माननीय सभापति : श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी…

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

– – –

श्री पशुपति कुमार पारस : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

– – –

… (व्यवधान)

(1520/MK/RU)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): आप लोग क्या कर रहे हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप इनसे बोलिए कि ये अपनी-अपनी सीट पर जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : ये सब क्या हो रहा है?

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी ठीक कह रही हैं, आप लोगों को अपनी सीटों पर जाना चाहिए। … (व्यवधान) आपको चर्चा में भाग लेना चाहिए, ऐसा माननीय सभापति जी निवेदन कर रही हैं। श्री प्रहलाद जोशी जी ने निवेदन किया है और हम भी निवेदन कर रहे हैं कि आप सबको अपनी-अपनी सीटों पर जाना चाहिए और चर्चा में भाग लेना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग नहीं मानेंगे? क्या करें एडजर्न कर दें?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1521 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 27 जुलाई, 2021 / 5 श्रावण, 1943(शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।